न्यामूर्ति के. कन्नन के समक्ष।

खोकरा कोट ने सेवा समिति का प्रतिनिधित्व किया-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,- प्रतिवादीगण

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2009 का 15930

12 दिसंबर, 2011

भारत का संविधान, 1950- अनुछेद 21-प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958-धारा 2 (i), 19-प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904-धारा 2 (1), 3 (i), 20 (1), 20 (2), 20-सी-राज्य पुनर्गठन अधिनियम- धारा 126-भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 19 के तहत संपत्ति पर लगाए गए निर्माण को हटाने के लिए जारी किया गया नोटिस को - चुनौती दी गई-खोकरा कोट को अधिनियम के तहत 'संरक्षित क्षेत्र' घोषित किया गया था-जिसका निपटान राज्य को कार्य योजना तैयार करने और भूमि मालिकों को मुआवजा देने के लिए निर्देश जारी किया गया था।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि उल्लंघन में किए गए निर्माण को हटाना, जो विवादित नोटिसों के माध्यम से अनुमेय है, कुछ गंभीर मानवीय समस्याओं से जूझता है और इसे अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ संभालना होगा।विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आरक्षित स्थानों का उपयोग हमेशा इस तरह से नहीं किया जाता है।फुटपाथ पैदल चलने के लिए होते हैं लेकिन फुटपाथ पर रहने वालों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है।उन्हें एक दिन में बाहर नहीं निकाला जा सकता।अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के व्यापक विस्तार को स्वीकार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओलगा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर प्रशासन-(1985) 3 एस. सी. सी. 545 में उन्हें बाहर करने से पहले राज्य से उनका वैकल्पिक आवंटन करने की आवश्यकता बताकर उन्हें गरिमा की भावना दी।पैदल चलने वालों और वाहनों के लिए बनाई गई सड़कों के बड़े स्थानों पर विक्रेताओं का कब्जा हैं।हमारे पास अभी भी पुटपाथ विक्रेताओं जो अपना सामान मोबाइल इकाइयों में रखते है की सुरक्षा के लिए एक घोषित राष्ट्रीय नीति है। राष्ट्रीय नीति दिनांक 20.01.2004, रोजगार

और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा डी. ओ. पत्र No.N11028/2/2002, यू. पी. ए. III, दिनांक 11.02.2004 के माध्यम से जारी की गई।यह असामान्य नहीं है कि नगर निगम के विरूद्व और नगर नियोजन नियमों के विरूद्व अनधिकृत निर्माण भी उपनिवेशकों और बिल्डरों द्वारा शक्तिशाली पैरवी के कारण नियमितीकरण कानूनों और अधिसूचनाओं द्वारा ध्वस्त करने के खिलाफ राहत प्राप्त करते हैं।

भारत सरकार ने 05.10.2007 पर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे और इनकी सार्वजनिक जानकारी 14.10.2007 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में दी गई थी।

(पैरा 15)

पवन के. मुतनेजा, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से ।

कीर्ति सिंह, डीएजी, हरियाणा।

एस एस संधू, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए।

न्यामूर्ति के. कन्नन

I. खोकरा कोट-एक घोषित "संरक्षित क्षेत्र"

(1) रिट याचिका खोकरा कोट के निवासियों द्वारा गठित एक सोसायटी के आग्रह पर है, जिसमे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी किए गए नोटिसों को चुनौती दी गई है, जिसे दूसरे प्रतिवादी के रूप में सूचीबद किया गया है, जिसमें प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (जिसे इसके बाद '1958 अधिनियम' कहा जाता है) की धारा 19 के तहत संपत्ति पर लगाए गए निर्माण को हटाने का आह्वान किया गया है।यह एक स्वीकृत मामला है कि रोहतक जिले के खोकरा कोट में "प्राचीन शहर"के स्थल को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 (जिसे इसके बाद '1904 अधिनियम' कहा जाता है) की धारा 3 (i) के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।1904 के अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत

केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी एक अधिसूचना द्वारा पंजाब राजपत्र में इस अधिसूचना की पुष्टि की गई है। निम्नलिखित क्षेत्र को "संरक्षित क्षेत्र"घोषित किया गया था:-

"पंजाब के रोहतक जिले में खोखरा कोट के रूप में जाना जाने वाला स्थल, जिसमें खसरा संख्या शामिल है, संलग्न अनुसूची में दिखाए गये है।

अनुसूची

खसरा No.4430 माप 8 बीघा और 10 बिस्वास
खसरा No.4443 माप 0 बीघा और 3 बिस्वास
खसरा No.4454 माप 0 बीघा और 17 बिस्वास
खसरा No.4484 माप 0 बीघा और 19 बिस्वास
खसरा No.6775 माप 24 बीघा और 1 बिस्वास
खसरा No.6776 माप 1 बीघा और 17 बिस्वास
खसरा No.6781 माप 38 बीघा और 17 बिस्वास
खसरा 6782 माप 10 बीघा और 19 बिस्वास
खसरा No.6783 माप 11 बीघा और 16 बिस्वास

खसरा No.6787 माप 17 बीघा और 5 बिस्वास
खसरा No.6788 माप 5 बीघा और 13 बिस्वास
खसरा No.6789 माप 13 बीघा और 5 बिस्वास
खसरा No.6791 माप 7 बीघा और 4 बिस्वास
खसरा No.6792 माप 30 बीघा और 10 बिस्वास
खसरा No.6793 माप 0 बीघा और 8 बिस्वास
खसरा No.6794 माप 2 बीघा और 16 बिस्वास
खसरा No.6798 माप 0 बीघा और 16 बिस्वास
खसरा No.6799 माप 53 बीघा और 9 बिस्वास

खसरा No.6800 माप 1 बीघा और 11 बिस्वास
खसरा No.6801 माप 31 बीघा और 9 बिस्वास
खसरा No.6802 माप 4 बीघा और 18 बिस्वास
खसरा No.6803 माप 3 बीघा और 1 बिस्वास
खसरा No.6804 माप 30 बीघा और 7 बिस्वास
खसरा No.6846 माप 21 बीघा और 15 बिस्वास
खसरा No.6847 माप 1 बीघा और 6 बिस्वास

कुल 360 बीघास और 4 बिस्वास या 225 एकड़स

II. याचिकाकर्ता का तर्क: स्वामित्व अधिकारों पर घोषणा का प्रभाव

(2) तर्क यह है कि 1904 के अधिनियम के तहत 'संरक्षित क्षेत्र' के रूप में घोषित संपत्ति स्वामित्व अधिकारों को बाधित किए बिना संपत्ति के उपयोग की अनुमति देती है और यदि खुदाई करने का प्रस्ताव है, तो सरकार संपत्ति का अधिग्रहण करके और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करके ऐसा कर सकती है। अधिग्रहण की शक्ति 1904 के अधिनियम की धारा 20-सी के माध्यम से सुरक्षित है। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि 1958 के अधिनियम की धारा 19 के तहत निर्माण को हटाने का निर्देश देते हुए जारी किए गए वर्तमान नोटिस असमर्थनीय हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता-सोसायटी के किसी भी सदस्य को सरकार द्वारा 1904 के अधिनियम की धारा 20-सी के तहत विचार किए गए तरीके से संपत्ति का अधिग्रहण करने का निर्णय लिए बिना बेदखल करने का निर्देश या हटाने का अधिकार नहीं है।

III. राज्य का पक्ष और निर्माण को हटाने के लिए कार्रवाई करने की मजबूरी

(3) राज्य ने यह कहते हुए अपनी आपत्तियां दायर की हैं कि याचिकाकर्ता-सोसायटी के सदस्यों, अर्थात् स्थानीय निवासियों को हमेशा से पता था कि जो संपत्ति विवादित नोटिस का विषय है, उसे एक 'संरक्षित क्षेत्र' घोषित किया गया था

और याचिकाकर्ता के निर्माण अनधिकृत हैं।इन अनधिकृत निर्माणों को हटाने की कवायद सरकार द्वारा पहले भी की गई है, लेकिन ग्रामीणों के प्रतिरोध ने उन्हें विफल कर दिया।राज्य सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 1997 की 17704 में मुंशी राम बनाम पंजाब राज्य और अन्य 4.10.2008 को निर्णित मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रति संवेदनशील था। जहाँ इस न्यायालय ने विभिन्न निर्देश दिए हैं। जिनमें 1958 के अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से दिए गए निर्देश शामिल हैं, और यह भी शामिल है की यदि इस अदालत के फैसले की तारीख से एक महीने के भीतर प्राचीन स्मारकों का अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो किसी भी सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति को भी अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति होगी। राज्य की कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देशों से प्रेरित थी और याचिकाकर्ताओं को संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) संघ ने यह तर्क देते हुए अपना जवाब दाखिल किया है कि 1904 के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त शक्ति को 1958 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है और सभी याचिकाकर्ताओं ने एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना के बावजूद निर्माण करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से गैरकानूनी रियायत प्राप्त की है, जहां कोई निर्माण नहीं किया जा सकता था। प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया है कि याचिकाकर्ता-सोसायटी के सदस्यों को 1904 के अधिनियम के तहत इस स्थान को "संरक्षित क्षेत्र"घोषित किए जाने के बावजूद अपने निर्माण पर कब्जा बनाए रखने का कोई बड़ा अधिकार है।

IV. खोकरा कोट का पुरातात्विक महत्व

(5) खोकरा कोट के पुरातात्विक स्थल से पूर्व-हड़प्पा और 1500 ईसा पूर्व के बाद के प्रारंभिक ऐतिहासिक समय के मिट्टी के बर्तनों का पता चला है। पहली शताब्दी ईस्वी की शुरुआत से सिक्कों के सांचों ने सिक्कों की ढलाई की प्रक्रियाओं पर मूल्यवान प्रकाश डाला है।(स्रोतःरोमा वार्डनोक द्वारा लिखित फुटप्रिंट इंडिया)

(6) मौर्य काल की किसान-पशुपालन पीजीडब्ल्यू संस्कृति को लोहे, घोड़े और मवेशियों और एक पतले भूरे रंग के और चित्रित मिट्टी के बर्तनों के उपयोग से

अलग किया गया था।यह सतलुज से गंगा तक और विशेष रूप से उत्तरी मैदानों में सरस्वती घाटी के साथ फैला हुआ है।इसकी खोज हस्तिनापुर, पानीपत, पेहोवा, कुरुक्षेत्र, मथुरा से हुई है।इंद्रप्रस्थ या दिल्ली ने महाभारत के नायकों के साथ संस्कृति को जोड़ने के लिए पारंपरिक पुरातत्वविदों की कल्पना को उत्साहित किया।हालांकि, भौगोलिक वितरण, कालक्रमऔर पीजीडब्ल्यू संस्कृति के

सांस्कृतिक परिवेश की तुलना वैदिक (बाद के चरण) साहित्य या आर्यों की संस्कृति से की जा सकती है।रोहतक में खोखरकोट के सबसे निचले स्तर से पेंटेड ग्रे वेयर (पीजीडब्ल्यू) संस्कृति की खोज बाद के वैदिक काल में रोहतक में वैदिक लोगों की घुसपैठ की पुष्टि करती है।(स्रोतःविकिपीडिया)।

(7) रोहतक के पास खोकरा कोट प्रारंभिक ईसाई काल के यौधेयों के आदिवासी गणराज्य से जुड़ा था और इसमें टीलों की एक श्रृंखला है जिसमें 1938 में बीरबल सैनी द्वारा खुदाई करने पर कई भारतीय-यूनानी सिक्के मिले थे।(प्रारंभिक ऐतिहासिक दक्षिण एशिया का पुरातत्वः(स्रोत फ्रैंक रेमंड ऑलचिन और जॉर्ज एर्दोसी द्वारा शहरों और राज्यों का उदय)।

(8) साहित्यिक परंपरा के अनुसार रोहिद्या को भगवान महावीर की कई यात्राओं का आशीर्वाद मिला था और शहर में स्थित पुधविवादिमासया उद्यान में धारणा यक्ष का एक मंदिर मौजूद था।रोहतक जिले के पिंजौर, सिरसा, खोक्राकोट, अस्थल बोहर, सत कुंभा और मोहनबाड़ी जैसे विभिन्न स्थानों से इस अवधि की कई जैन मूर्तियां बरामद की गई हैं।(स्रोतहरियाणा राज्य राजपत्र-खंड 1)।

V. 1904 का अधिनियम और 1958 का अधिनियम-निरसन प्रावधान और संचालन के संबंधित क्षेत्रों का प्रभाव

(9) 1904 के अधिनियम और 1958 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की केवल संक्षेप में जांच करने की आवश्यकता होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनमें कोई असंगत प्रावधान हैं।1904 के अधिनियम के लागू होने की सीमा को सबसे पहले निम्नलिखित प्रावधान के माध्यम से देखा जाना चाहिएः-

"39. रद्द और बचत।-(1) प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम, 1951 (1951 का 71) और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 126 को निरस्त कर दिया गया है।

(2) प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का 7), प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के संबंध में प्रभावी नहीं रहेगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित अवशेष, इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले किए गए या किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि जबकि 1958 के अधिनियम ने विशेष रूप से 1904 के अधिनियम के संबंध में 1951 के अधिनियम और राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 126 को निरस्त कर दिया था, यह 1958 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले 1904 के अधिनियम के तहत किए गए या किए जाने वाले कार्यों को जारी रखता है। 1904 का अधिनियम प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक, ऐतिहासिक या कलात्मक रुचि की वस्तुओं के संरक्षण के घोषित उद्देश्य के साथ पारित किया गया था।1958 के अधिनियम के समान उद्देश्य हैं लेकिन 1958 के अधिनियम को पारित करने के लिए उद्देश्यों और कारणों के विवरण (एस. ओ. आर.) से यह स्पष्ट होता है कि संविधान के तहत 'प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों' का विषय संघ सूची में प्रविष्टि 67 के रूप में, राज्य सूची में प्रविष्टि 12 के रूप में और समवर्ती सूची में प्रविष्टि 40 के रूप में है।इस तरह से कि एक दूसरे के साथ अतिव्याप्त न हो, 1958 के अधिनियम का उद्देश्य 1904 के अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के साथ केंद्रीय रूप से स्थित शक्तियों को वितरित करना है। एस. ओ. आर. घोषणा करता है कि 1958 का अधिनियम 1904 के अधिनियम पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ नए प्रावधान हैं जिनका उद्देश्य 1904 के अधिनियम के काम करने में आने वाली कुछ कठिनाइयों को दूर करना है।यह विशेष रूप से स्मारकों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने से मालिकों के इनकार

के मुद्दों पर 1904 के अधिनियम के तहत अनुभव की गई कठिनाई को दर्ज करता है।राष्ट्रीय महत्व के घोषित पुरातात्विक स्थलों में खुदाई को विनियमित करने के लिए स्पष्ट रूप से शक्ति दी जा रही थी और मुआवजे के भुगतान पर पुरावशेषों और ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की अन्य वस्तुओं की अनिवार्य खरीद के लिए भी प्रावधान किया जा रहा था।ये संपूर्ण होने के लिए नहीं हैं, बल्कि 1958 के अधिनियम का उद्देश्य क्या था, इसका उदाहरण है, अर्थात्, केंद्र सरकार को पुरातात्विक स्मारकों और स्थलों के संरक्षण के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाना।

VI. 'प्राचीन स्मारक' और 'संरक्षित क्षेत्र'-अर्थ

(10) 1904 और 1958 दोनों अधिनियमों के तहत, 'प्राचीन स्मारक' और 'संरक्षित क्षेत्र' के बीच अंतर बनाए रखा है।''प्राचीन स्मारक' को 1904 के अधिनियम की धारा 2 (1) के तहत परिभाषित किया गया है, लेकिन 'संरक्षित क्षेत्र' को इस तरह परिभाषित नहीं किया गया है।1904 के अधिनियम की धारा 2 (1) के तहत "प्राचीन स्मारक"की परिभाषा को पुनःप्रस्तुत किया गया है:-

"प्राचीन स्मारक "का मतलब कोई भी संरचना, निर्माण या स्मारक, या कोई ट्यूमलस या नजरबंदी का स्थान, या कोई गुफा, चट्टान-मूर्तिकला, शिलालेख या मोनोलिथ, जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक रुचि का है, या उसके कोई अवशेष शामिल हैं, और इसमें शामिल हैं -

(क) एक प्राचीन स्मारक का स्थल;

(ख) किसी प्राचीन स्मारक के स्थल से सटे भूमि का ऐसा हिस्सा जो ऐसे स्मारक को घेरने या ढकने या अन्यथा संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो; और

(ग) किसी प्राचीन स्मारक तक पहुँच के साधन और सुविधाजनक निरीक्षण।"

(11) यह ध्यान दिया जाएगा कि उपरोक्त धारा 2 (1) (ए) में आने वाले प्राचीन स्मारक स्थल के संदर्भ को ऐसे स्थल के रूप में समझा जाना चाहिए जिस पर प्राचीन

स्मारक रहता है और यह एक संरक्षित क्षेत्र के समान नहीं हो सकता है।संरक्षित क्षेत्र का संदर्भ "पुरातात्विक उत्खनन"के एक अलग शीर्षक के तहत आता है।केंद्र सरकार को विशेष रूप से ऐसे संरक्षित क्षेत्र की अधिसूचना बनाने का अधिकार दिया गया है।धारा 20 (2) प्रासंगिक है, क्योंकि यह एक संरक्षित क्षेत्र के संबंध में स्वामित्व के अधिकार को तब तक मान्यता देती है जब तक कि इसे हस्तांतरित नहीं किया जाता है।उक्त धारा 20 (2) को पुनःप्रस्तुत किया गया हैः-

"(2) ऐसी अधिसूचना की तारीख से संरक्षित क्षेत्र में दबी हुई सभी पुरावशेष सरकार की संपत्ति होंगी और सरकार के कब्जे में मानी जाएंगी, और संपत्ति और सरकार के कब्जे में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उसका स्वामित्व हस्तांतरित नहीं हो जाता; लेकिन अन्य सभी मामलों में ऐसे क्षेत्र में भूमि के किसी भी मालिक या कब्जाधारक के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।"

धारा 20सी एक संरक्षित क्षेत्र प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है।उक्त धारा को भी पुनःप्रस्तुत किया गया हैः

"20C.Power एक संरक्षित क्षेत्र प्राप्त करने के लिए।-यदि केंद्र सरकार की राय है कि किसी संरक्षित क्षेत्र में कोई प्राचीन स्मारक या राष्ट्रीय हित और मूल्य की पुरावशेष हैं, तो वह राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्र या उसके किसी हिस्से का अधिग्रहण करने का निर्देश दे सकती है और राज्य सरकार इसके बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के तहत ऐसे क्षेत्र या हिस्से का अधिग्रहण कर सकती है, जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो।"

इसका मतलब है कि एक मालिक जो उस भूमि पर स्वामित्व के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है जो एक संरक्षित क्षेत्र है, वह उपरोक्त धारा में अनुध्यात तरीके से संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए सरकार के प्रतिष्ठित क्षेत्र के जोखिम में संपत्ति रखेगा।

(12) 1958 का अधिनियम "प्राचीन स्मारक"को कमोबेश समान शब्दो में परिभाषित करता है, लेकिन यह एक संरक्षित क्षेत्र को भी परिभाषित करता है जिसे

1904 के अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 2 (ए) के तहत "प्राचीन स्मारक"की परिभाषा को पुनःप्रस्तुत किया गया हैः

"प्राचीन स्मारक" का मतलब कोई भी संरचना, निर्माण या स्मारक, या कोई ट्यूमलस या नजरबंदी का स्थान, या कोई गुफा, चट्टान-मूर्तिकला, शिलालेख या मोनोलिथ अभिप्रेत है, जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक रुचि का है, और जो कम से कम एक सौ वर्षों से अस्तित्व में है, और इसमें शामिल हैं -

(क) एक प्राचीन स्मारक के अवशेष,

(ख) एक प्राचीन स्मारक का स्थल,

(ग) किसी प्राचीन स्मारक के स्थल से सटे भूमि का ऐसा हिस्सा जो ऐसे स्मारक में बाड़ लगाने या ढकने या अन्यथा संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो; और

(घ) किसी प्राचीन स्मारक तक पहुँच के साधन और सुविधाजनक निरीक्षण।"

"संरक्षित क्षेत्र"की परिभाषाः1958 के अधिनियम की धारा 2 (i) के तहत पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

""संरक्षित क्षेत्र" का मतलब कोई भी पुरातात्विक स्थल और अवशेष अभिप्रेत हैं जिन्हें इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यह ध्यान दिया जाएगा कि पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों को एक प्राचीन स्मारक से अलग देखा जाता है जो उक्त क्षेत्र के भीतर हो सकता है।यह "पुरातात्विक स्थल और अवशेष"की परिभाषा से देखा जाता है, जिसे नीचे परिभाषित किया गया हैः-

"पुरातात्विक स्थल और अवशेष" का मतलब कोई भी क्षेत्र जिसमें ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के खंडहर या अवशेष हैं जो कम से कम एक सौ वर्षों से अस्तित्व में हैं, और इसमें शामिल हैं -

(i) क्षेत्र से सटे भूमि का ऐसा हिस्सा जो बाड़ लगाने या उसे ढकने या अन्यथा संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो, और

(ii) क्षेत्र तक पहुँच के साधन और सुविधाजनक निरीक्षण।"

VII. 'संरक्षित क्षेत्र'-1958 अधिनियम के उपयोगकर्ता के तरीके में शामिल अतिरिक्त प्रतिबंध।

(13) जिस संरक्षित क्षेत्र को 1904 के अधिनियम के तहत मालिक द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, उसे 1958 के अधिनियम के तहत थोड़ा अलग व्यवहार मिलता है। यह एक अलग शीर्षक 'संरक्षित क्षेत्र' के तहत आता है और इस शीर्षक के तहत आने वाले प्रासंगिक प्रावधान धारा 19 और 20 हैं।धारा 19 एक प्रतिबंध लगाती है, जबकि धारा 20 कुछ हद तक 1904 के अधिनियम की धारा 20सी की प्रतिकृति है। धारा 19 इस प्रकार हैः-

"19. संरक्षित क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों के उपभोग पर प्रतिबंध।- (1) किसी संरक्षित क्षेत्र के मालिक या अधिभोगकर्ता सहित कोई भी व्यक्ति, संरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी भी भवन का निर्माण नहीं करेगा या ऐसे क्षेत्र में कोई खनन, उत्खनन, उत्खनन, विस्फोट या समान प्रकृति का कोई संचालन नहीं करेगा, या केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी अन्य तरीके से ऐसे क्षेत्र या उसके किसी हिस्से का उपयोग नहीं करेगा(जोर दिया गया)

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात खेती के उद्देश्यों के लिए ऐसे किसी क्षेत्र या उसके हिस्से के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली नहीं मानी जाएगी, यदि ऐसी खेती में सतह से एक फुट से अधिक मिट्टी की खुदाई शामिल नहीं है।

(2) केंद्र सरकार आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि किसी संरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्मित किसी भी भवन को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर हटा दिया जाएगा और यदि वह व्यक्ति आदेश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है तो कलेक्टर भवन को हटा सकता है और व्यक्ति इस तरह के हटाने की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।" (जोर दिया गया)

धारा 20 को भी पुनःप्रस्तुत किया गया हैः-

"20. संरक्षित क्षेत्र प्राप्त करने की शक्ति।-यदि केंद्र सरकार की राय में किसी संरक्षित क्षेत्र में कोई प्राचीन स्मारक या राष्ट्रीय हित और मूल्य की पुरावशेष हैं, तो वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के प्रावधानों के तहत ऐसे क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकती है, जैसे कि अधिग्रहण उस अधिनियम के अर्थ के भीतर किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए था।

1958 के अधिनियम की धारा 19 ने फिर से कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जो 1904 के अधिनियम की धारा 20 में नहीं थे।यह देखा जा सकता है कि धारा 19 के तहत प्रतिबंध में केंद्र सरकार की अनुमति के अलावा किसी संरक्षित क्षेत्र में कोई भी निर्माण करने पर रोक शामिल है।इस तरह की अनुमति के बिना एक संरक्षित क्षेत्र में एकमात्र गतिविधि एक कृषि उद्देश्य के लिए खेती हो सकती है जिसमें सतह से एक फुट से अधिक मिट्टी की खुदाई शामिल नहीं है।वर्ष 1938 में 1904 के अधिनियम के तहत अधिसूचित स्थानों में संरक्षित क्षेत्र के मालिकों को 1958 के अधिनियम के माध्यम से एक और प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। 1958 का अधिनियम अपनी व्याख्या में स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई निर्माण नहीं हो सकता है।

VIII. 1958 अधिनियम के तहत विवादित नोटिस कानून के अनुरूप हों ।

(14) 1904 के अधिनियम की धारा 20 को 1958 के अधिनियम की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। धारा 39 के आधार पर, केवल एक चीज जो संरक्षित है, वह है 1904 के अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना, जिसमें इस संपत्ति को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है।यदि संरक्षित क्षेत्र के तहत पहले से ही निर्माण किया जा चुका है, तो उन निर्माणों को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है।दूसरी ओर, यदि 1958 के अधिनियम के लागू होने के बाद कोई निर्माण किया गया था, तो ऐसा निर्माण केंद्र सरकार की स्पष्ट अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता था।यदि ऐसे निर्माण किए जाते हैं, तो सरकार के लिए धारा 19 (1) के उल्लंघन में किए गए ऐसे निर्माण को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर हटाने के लिए धारा 19 (2) के तहत अपनी पुलिस शक्ति का उपयोग करना संभव होगा।ठीक यही वह कार्य है जिसे करने की

मांग की गई है और इसे रिट याचिका में चुनौती दी गई है।मेरे पास यह देखने के लिए सामग्री नहीं है कि क्या सोसायटी के सभी सदस्यों ने 1958 से पहले ही अपने निर्माण किए हैं।इसलिए प्रत्येक अधिभोगियों को इलाके में व्यक्तिगत या सामान्य प्रकाशन के माध्यम से नोटिस दिए जाने चाहिए और 1958 के बाद हुए ऐसे निर्माणों को धारा 19 (1) के उल्लंघन में किए गए निर्माण के रूप में लिया जा सकता है जो धारा 19 (2) के तहत अतिसंवेदनशील होंगे।याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया है कि स्कूलों की स्थापना की गई है; घरों का निर्माण किया गया है; बिजली की स्थापना की गई है; और पानी के कनेक्शन दिए गए हैं।

IX. आगे बढ़ने का रास्ता, विवादित नोटिसों के अस्थायी निलंबन एक हैं

(15) उल्लंघन में किए गए निर्माण को हटाना जो विवादित नोटिसों के माध्यम से अनुमेय है, कुछ गंभीर मुद्दों से जूझता है मानवीय समस्याओं और उन्हें अत्यधिक

संवेदनशीलता के साथ संभालना होगा।विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आरक्षित स्थानों का उपयोग हमेशा इस तरह से नहीं किया जाता है।फुटपाथ पैदल चलने के लिए होते हैं लेकिन फुटपाथ पर रहने वालों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है।उन्हें एक दिन में बाहर नहीं निकाला जा सका।अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के व्यापक विस्तार को स्वीकार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर प्रशासन (1) में उन्हें बाहर निकलने से पहले** राज्य से वैकल्पिक आवंटन करने की आवश्यकता बताकर उन्हें गरिमा की भावना दी। पैदल चलने वालों और वाहनों के लिए बनाई गई सड़कों पर बड़े स्थानों पर विक्रेताओं का कब्जा है।हमारे पास अभी भी पुटपाथ विक्रेताओं जो अपना सामान मोबाइल इकाइयों में रखते है की सुरक्षा के लिए एक घोषित राष्ट्रीय नीति है।(राष्ट्रीय नीति दिनांक 20.01.2004, रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा डी. ओ. पत्र No.N11028/2/2002, यू. पी. ए. III, दिनांक 11.02.2004 के माध्यम से जारी की गई ।यह असामान्य नहीं है कि नगर निगम के कानूनों और नगर नियोजन नियमों के विरुद्ध अनधिकृत निर्माण

भी उपनिवेशकों और बिल्डरों द्वारा शक्तिशाली पैरवी के कारण नियमितीकरण कानूनों और अधिसूचनाओं द्वारा ध्वस्त करने के खिलाफ राहत प्राप्त करते हैं।भारत सरकार ने 05.10.2007 पर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे और इनकी सार्वजनिक जानकारी 14.10.2007 पर प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में दी गई थी।

(16) इस मामले में, हटाने का निर्देश देने में दूसरे प्रतिवादी की कार्रवाई एक संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के बाद अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं करने में राज्य की अपनी चूक के बाद आती है।इन्हें रातोंरात बाहर नहीं फेंका जा सकता है।राज्य के पास एक नीति और एक स्पष्ट खाका होगा कि वह हटाने के बाद क्या करना चाहता है।ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य रातोंरात निर्माणों को हटाना चाहता है और बिना किसी आगे की कार्रवाई के जगह को खाली रखना चाहता है।वर्ष 1909 में प्राचीन स्मारकों के रूप में अधिसूचित और वर्ष 1938 में 'संरक्षित क्षेत्रों' के रूप में घोषित स्थानों में बहुत अधिक पुरातात्विक गतिविधि नहीं देखी गई है।इसकी गतिविधि के लिए एक निश्चित खाका और इसके लिए एक समय सीमा के बिना कि वह क्या करने का प्रस्ताव करता है, राज्य निर्माण को नहीं हटाएगा।याचिकाकर्ता के सदस्यों को तब तक संरक्षण दिया जाएगा जब तक कि केंद्र और राज्य सरकार एक कार्य योजना तैयार नहीं कर लेती हैं और पहले से किए गए निर्माणों को हटाने पर जोर देने से पहले इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रकाशित करती हैं।यह केवल इस मानवीय समस्या पर ध्यान देने के लिए है कि अगर राज्य सतर्कता बरतता और संपत्ति की रक्षा करता जिसे उसने संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया तो इससे बचा जा सकता था।

---

(1) 1985 (3) एस. सी. सी. 545

इसे अपनी चूक से असुरक्षित होने दिया गया था और अब यदि वे सतर्कता बरतना चाहते हैं, तो सतर्कता किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं देने में होगी।इस संरक्षित क्षेत्र के भीतर निजी व्यक्तियों और मालिकों द्वारा निर्माण की भविष्य की सभी गतिविधियाँ बंद हो जाएंगी।स्थानीय अधिकारी अधिसूचित स्थानों पर कोई भी निर्माण करने के लिए कोई मंजूरी नहीं देंगे और जो इस आदेश में ऊपर पुनःप्रस्तुत किए गए हैं।कोई भी सिविल न्यायालय/प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र के संदर्भ में किसी भी कार्यवाही में कोई अंतरिम आदेश नहीं देगा और यदि ऐसा किया जाता है, तो राज्य इस आदेश को उचित संशोधन के लिए न्यायालय/प्राधिकरण के ध्यान में लाने का हकदार है।1958 के अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत निहित शक्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, बल्कि एक मानवीय दृष्टिकोण द्वारा शांत करने का प्रयास किया गया है; उस शक्ति का प्रयोग तब किया जाएगा जब राज्य खुदाई की आगे की कार्रवाई के लिए अपनी योजना तैयार कर ले।नतीजतन, विवादित नोटिसों को निलंबित करने और रद्द नहीं करने का आदेश दिया जाता है।खुदाई के निर्णय में धारा 20 के तहत अधिग्रहण करने का शुल्क शामिल होगा जो संपत्ति के वर्तमान मालिकों को उस संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति करेगा जिसे उनके खोने की संभावना है।

(17) रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)